सं. 7/22/2007-संस्था-III(क)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मंजूरी - ये आदेश स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू होंगे।**

व्यय विभाग के दिनांक 21.09.2007 के का.ज्ञा. सं. 7/25/संस्था-III(क)/2007 तथा दिनांक 05.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में आंशिक संशोधन करते हुए इस मंत्रालय के दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 7/24/2007-संस्था-III(क) द्वारा उत्पादकता से संबद्ध बोनस स्कीमों के तहत् कवर न किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की लेखा वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस के तौर पर देने के आदेश जारी किए गए हैं। **10 अक्तूबर, 2008 के उपर्युक्त आदेशों द्वारा परिकलन सीमा को 01.04.2006 से 2500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।** अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोक्त आदेशों में निहित निबंधन एवं शर्तों के अधीन स्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) को केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक तौर पर अथवा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों जो कि - (i) केन्द्र सरकार के समान परिलब्धियों की पद्धति का अनुपालन करती हैं तथा (ii) जिनमें कोई बोनस अथवा अनुग्रह अथवा प्रोत्साहन स्कीम परिचालन में नहीं है, के कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया गया है।

2. इन आदेशों के परिचालन में किसी किस्म की आशंका की स्थिति में समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 04.10.1988 के का.ज्ञा. सं. 14(10)संस्था-समन्वय/88 के तहत् परिचालित स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए।

(रेनु जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

☏ 2309 3276

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।